

No. RTI-202/19- 11763-85
From

Dated: 30/12/2019

State Public Information Officer-cum,
Gaushala Development Officer,
Directorate of Animal Husbandry & Dairying Department,
Haryana, Panchkula.

To

State Public Information-cum-

1. Managing Director, HLDB, Panchkula.
2. All Deputy Director's, Animal Husbandry & Dairying Department Haryana State.


Subject:- **Transfer of application under section 6(3) of RTI Act..**

Memo:

As per provision laid down in section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 please find enclosed a copy of an application dated 15.12.2019 of Sh. Anil Kumar S/o Sh. Kapil Dev, # 234/13, Shastri Bhawan, Vishnu Nagar, Gohana (Sonapat) Pin-131301 Email: file.any.rti@gmail.com for providing the requisite information on each / related point as required under the provisions of the said Act to the applicant directly. You are also directed to look into the matter and take necessary action in this regard and it may also be ensured that the information is provided to the applicant directly within time as per provision of the RTI Act.

However, the fee as required under the RTI, Act has been deposited by the applicant in the receipt head of the Haryana Right to Information Rules, 2009.


Encl : As above.


State Public Information Officer-cum,
Gaushala Development Officer,
Directorate of Animal Husbandry & Dairying Department,
Haryana, Panchkula

No. RTI-202/19-

Dated:

A copy is forwarded to Sh. Anil Kumar S/o Sh. Kapil Dev, # 234/13, Shastri Bhawan, Vishnu Nagar, Gohana (Sonapat) Pin-131301 Email: file.any.rti@gmail.com w.r.to, his/her application dated 15.12.2019 under RTI Act for information. You are also requested to contact and collect the desired information directly from the concerned office in future. The desired information is to be furnished by the above mentioned office.


State Public Information Officer-cum,
Gaushala Development Officer,
Directorate of Animal Husbandry & Dairying Department,
Haryana, Panchkula

202/19

Subject: Info under RTI act 2005
To: Email Id DG AH&D <dg.ahd@hry.nic.in>

Date: 12/17/19 06:42 PM
From: "file.any.rti" <file.any.rti@gmail.com>

1576233638279_ExportedReport (27kB)

Legal Page insurance RTI to DG and all DD.pdf (273kB)

Respected sir

Please find here attached with an application to get information Under RTI act 2005 on legal size page format.

please provide information of all 17 points to be provided preferably from

DG Office 1, 2, 11 and 12

DD offices 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

SDO offices 3, 4, 11, 12

GVHs 12, 13, 14, 15, 16, 17

You can contact me file.any.rti@gmail.com

Or my postal address

Thank you

Anil kumar

SP/10
Rajendra
RTI
Sushu
18.12.19
RTI 26/12/19

<p>Director General Animal Husbandry & Dairying Hry Bays No. 9-12, Sector-2, Patancheru</p> <p>18 DEC 2019</p> <p>Receipt No. 1106</p>
--

सेवा में,

राज्य जन सूचना अधिकारी,

महानिदेशक कार्यालय,

पर्यायान एवं इरीज विभाग हरियाणा,

पंचकला।

विषय: पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुबिमा योजना के बारे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित

सूचना उपलब्ध करवाना।

श्रीमान जी,

विनाश निवृत्त है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचना सत्यापित करके उपलब्ध कराए:

1. हरियाणा सिविल सेवा (आयुर्ग) नियम, 2016 के नियम 20 (1) d के तहत किसी सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी एक प्राइवेट कंपनी (HIBL) के अधिकृत बीमा एजेंट (P.O.S.) के रूप में कार्य किया जाना, HIBL की मोबाइल एप में login करके कार्य करना, बीमा कंपनी के लिए फोटो खींचना, प्रचार के बैनर लगाना अवैध है, इसलिए किस नियम/ छूट के तहत विभाग के पेश्विकिस्सक, VLDA या पशु परिचर एक निजी बीमा/ब्रोकर कंपनी के लिए कार्य कर सकते हैं, नियम/ छूट की सत्यापित प्रति निदेशालय से उपलब्ध कराए।
2. पशुबिमा योजना के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करना एवं बीमित पशु की मृत्यु के उपरान्त पोस्टमार्टम प्रमाण-पत्र जारी करने के अलावा क्या पेश्विकिस्सक का कोई अन्य कार्य यदि हो तो पंक्ति के लिए जारी किए गए नियम/ दस्तावेज/ दिशा-निर्देशों/ आदेशों की सत्यापित प्रति सभी जिलों के उपनिदेशक कार्यालयों से उपलब्ध कराए।
3. सभी जिलों के उपनिदेशक/ सभी उपमंडलों के उपमंडल अधिकारियों द्वारा पशुबिमा प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रमाण-पत्र के पतियावना, पशुबिमा योजना, पशुबिमा आदि योजनाओं में या किसी भी तरह से पशुबिमा कार्य करने के (लिखित, मौखिक, वीडियो, ईमेल, टैबलैट आदि) आदेश/ नक्ष्य जो उनके उच्च अधिकारियों से उनके अधीनस्थ पेश्विकिस्सकों को देने के लिए प्राप्त हुए, की सत्यापित पतियावना उपलब्ध कराए।

4. सभी जिलों के उपनिदेशक/ सभी उपमंडलों के उपमंडल अधिकारियों द्वारा- पशुबिमा प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रमाण-पत्र के पतियावना, पशुबिमा आदि योजनाओं में या किसी भी तरह से पशुबिमा कार्य करने के (लिखित, मौखिक, वीडियो, ईमेल, टैबलैट आदि) आदेश/ नक्ष्य उनके अधीनस्थ पेश्विकिस्सकों को जारी किए हैं, की सत्यापित पतियावना उपलब्ध कराए।
5. HIBL द्वारा हर जिलों में कई अलग-अलग वेटिंग-एअर प्रणालियाँ चलायी जा रही हैं जिससे उपनिदेशक से पशु परिचर तक को उनके निजी फोन नंबर के माध्यम से जोड़ रखा है, इसके अलावा HIBL ने एक मोबाइल एप जारी की है जिससे उपनिदेशक से पशु परिचर तक login है, जोकि हरियाणा सिविल सेवा (आयुर्ग) नियम, 2016 का उल्लंघन है इस बारे में निजी उपनिदेशकों द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई गई की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराए।

6. प्रत्येक जिले में किनसे पेश्विकिस्सक, VLDA व पशु परिचरों द्वारा निजी कंपनी HIBL के बीमा एजेंट/ POS के रूप में कार्य किया जा रहा है, जो पशु बीमा कर रहे हैं उनका नाम, IRDA के कोड नंबर सहित सूची उपनिदेशक स्तर पर compile करके सत्यापित करके उपलब्ध कराए।
7. बीमा योजना में हर जिला स्तर पर विभाग का उपनिदेशक CEO होने के नाते उसे पता होना जरूरी कि जिले में पशुबिमा करके सत्यापित करके उपलब्ध कराए।

उपनिदेशक कार्यालय स्तर पर compile करके सत्यापित करके उपलब्ध कराए।
कार्यालय पता, कार्यक्षेत्र व ड्यूटी घाट क्या है। इसलिए बीमा कंपनी के हर अधिकारी/कर्मचारी की उक्त सूचना करने के लिए बीमा/ ब्रोकर कंपनी के विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नंबर, IRDA ID कोड नंबर, बीमा योजना में हर जिला स्तर पर विभाग का उपनिदेशक CEO होने के नाते उसे पता होना जरूरी कि जिले में पशुबिमा करके सत्यापित करके उपलब्ध कराए।

